विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 23.11.2017 को सिवरेज STP से निकलने वाले शोधित जल का उपयोग सिंचाई एवं कृषि कार्य में करने संबंधी कार्य योजना तैयार करने के संबंध में विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति</u> :– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम विकास आयुक्त द्वारा दिनांक– 17.10.2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई।

2. विकास आयुक्त के मनीला भ्रमण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का अध्ययन कर बुडको के महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा बताया गया कि मनीला में समुद्र के जल को शोधित कर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का Parameters दिया गया था, जिसमें BOD अधिकतम 07 दर्शाया गया था, जबकि बिहार राज्य में सिवरेज से निकलने वाले जल को STP से शोधित करने पर BOD अधिकतम 10 हो रहा है। यह भी बताया गया कि यह मानक कृषि कार्य एवं सिंचाई के लिए उपयुक्त है।

निदेश दिया गया कि यथासम्भव BOD को कम करने हेतु संबंधित संवेदकों से अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की कार्रवाई बुडको द्वारा किया जाय।

3. रैयती भूमि में सिंचाई के लिए Under Ground पाईप बिछाने के क्रम में रैयतों को मुआवजा भुगतान देने के बिन्दु पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपस्थिति प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जमीन के नीचे पाईप बिछाने के क्रम में रैयत को केवल खड़ी फसल के नुकसान हेतु मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है, जिसका आकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। जमीन के नीचे पाईप डालने के लिए अलग से मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है। प्रभावित रैयतों से एक Undertaking ले लेना चाहिए कि जितनी चौड़ाई में पाईप बिछाया जायेगा, उतनी चौड़ाई में उसे Deep खुदाई नहीं करना होगा।

4. जल संसाधन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पटना शहर के वैसे सिवरेज एवं STP जिनसे शोधित जल बादशाही पईन में जाएगा, उस शोधित जल से सिंचाई के योजना का DPR बनाने हेतु RFP निकाला गया है। दीघा जोन का RFP नहीं निकाला गया है।

निदेश दिया गया कि दीघा जोन का भी RFP शीघ्र निकालें तथा 02 माह के अन्दर सभी का DPR तैयार करें। DPR बनाने में पटना शहर के Expansion को भी ध्यान में रखने का निदेश दिया गया।

5. फुलवारीशरीफ के सिवरेज का जल चूँकि वर्तमान में गंगा नदी में जाता है, इसलिए इस जल को शोधित करने हेतु बेऊर STP में मिलाने के लिए अलग Scheme तैयार करने का निदेश बुडको को दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि NMCG से इसकी स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

6. यह भी निर्णय लिया गया कि जिन 451 गाँवों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ODF घोषित किया गया है, उनमें से Pilot Project के रूप में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा एक गाँव में सिंचेवाल मॉडल तथा एक गाँव में Mini STP लगाकर जल शोधन का उपयोगी एवं Viable मॉडल तैयार किया जाय। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा पटना के अतिरिक्त अन्य शहरों में STP से निकलने वाले शोधित जल के सिंचाई में उपयोग हेतु कार्य योजना अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

7. गंगा किनारे ODF घोषित किए गए 451 गाँवों में जल के शोधन हेतु सिंचेवाल मॉडल अपनाने हेतु अबतक कृत कार्रवाई के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर विकास आयुक्त महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

निदेश दिया गया कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग की एक टीम पंजाब के सिंचेवाल गाँव का भ्रमण कर योजना का अध्ययन करेगी तथा बिहार के गाँवों के परिप्रेक्ष्य में इसके उपयोग हेतु कार्य योजना तैयार किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग को भ्रमण कार्यक्रम तैयार करने का निदेश दिया गया।

विश्वासभाजन,

(शिशिर सिन्हा),
विकास आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 7640 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/11/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/बिहार राज्य जल पर्षद/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 7640 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/11/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/2017

सरकार के प्रधान सचिव।